

उत्तर प्रदेश

प्रभुप्रैर्द्ध
१९/०१/२३

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३
संख्या-१५१/आठ-३-२३-६५ विविध/२०१६ टी०सी०।
लखनऊ: दिनांक: १९ जनवरी, २०२३

विज्ञाप्ति

विषय:-उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण में सदस्य न्यायिक के रिक्त ०१ पद पर नियुक्ति।

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-२०१६ के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण में अध्यक्ष एवं तीन सदस्य (सदस्य न्यायिक, सदस्य प्रशासनिक एवं सदस्य तकनीकी) नियुक्त किये जाने का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्तें, शक्तियां एवं कार्य तथा पद से हटाया जाना आदि भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-२०१६ के अध्याय-७ एवं उत्तर प्रदेश भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली-२०१६ के अध्याय-७ में वर्णित हैं।

२- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-२०१६ की धारा-४६(१)(ख) के प्राविधानों के अनुसार कोई व्यक्ति अपीलीय अधिकरण के सदस्य न्यायिक के रूप में नियुक्ति के लिए उस दशा में पात्र होगा, जब-उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हुआ हो या वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा हो तथा उस सेवा में अपर सचिव या समतुल्य पद धारण किया हुआ हो या वह भू-सम्पदा के मामलों के अनुभव सहित कम से कम बीस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो;

३- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-२०१६ की धारा-४७(१) के प्राविधानों के अनुसार भू-संपदा अपीलीय अधिकरण का सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है उस रूप में ०५ वर्ष से अनधिक अवधि तक पद धारण करेगा किन्तु वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। उ०प्र० भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली-२०१६ के नियम-२७ में प्राविधानित किये गये हैं।

४- उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण के सदस्य न्यायिक के रिक्त ०१ पद पर नियुक्ति के लिए भू-सम्पदा अधिनियम में निर्धारित उक्त मानदण्ड पूरा करने वाले इच्छुक योग्य व्यक्ति अपना आवेदन आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा आवास बन्धु की वेबसाइट <http://awas.up.nic.in> एवं <https://www.awasbandhu.in> पर प्रदर्शित लिंक पर दिनांक 20.01.2023 से दिनांक 09.02.2023 तक कर सकते हैं। आवेदन पत्र केवल ऑन लाईन स्वीकार किये जायेंगे। पृथक से प्रेषित किसी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

५- ऑन लाईन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को समस्त वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ तथा स्वप्रमाणित घोषणा (जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है) संलग्न करना अनिवार्य है। अपीलीय अधिकरण में सदस्य न्यायिक के पद की अर्हता, सेवा शर्तें, पदावधि, वेतन भत्ते आदि के संबंध में विस्तृत विवरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-२०१६ के अध्याय-७ तथा उत्तर प्रदेश भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली-२०१६ के अध्याय-७ में देखा जा सकता है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली उपर्युक्त वर्णित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

१०.११.२०२३
१९.०१.२०२३
एवं अन्य
१९.०१.२०२३

०/८ (निविन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव